Caste candidates who appeared in examination held in 1963 were eligible under carry forward rule to reserved vacancies out of the vacancies filled through examinations held in 1959 and 1960 ;

(c) if so, whether they were promoted against all the reserved vacancies including those available under carry forward rule, subject to 45 percent of total vacancies filled, as per Government orders dated the 4th December, 1963 ; and

(d) whether they were promoted against reserved vacancies out of the vacancies filled through the exclusive panel of Non-SC/ST candidates formed on the basis of examinations held in 1959 and 1960 and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). No Section Officer Grade Limited Departmental Competitive Examination was held in 1963. The Examination which was intended to be held in August 1963 was actually held in February, 1964. The number of vacancies of Section Officers filled through this Examination was 16 out of which 4 were filled by Scheduled Castes and 12 by others.

The percentages of normal reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are 12½% and 5% respectively of the number of vacancies filled through the competitive examination. The number of normal reservations plus the carried forward reservations should not exceed 45% of the vacancies filled through the examination. In accordance with these general principles, the reserved vacancies against which Scheduled Castes candidates were promoted were arrived at as shown below :

Category	Normal reservation	Addtition on a/c of carry-forward		Net reservation
		actual carry-forward	Proportionate share	
1	2	3	4	5
Scheduled Castes	2 (@12½% of 16)	6	*2	4(2+2)
Scheduled Tribes	1 (@ 5% of 16)	5	*2	3(1+2)

*The difference betwwen the normal reservation of 3(2+1) and the total reservation permissible, namely 7 (45% of 16) distributed proportionately with reference to the carry-forward of 6 and 5 respectively.

The U.P.S.C. gave 4 Scheduled Caste candidates from that examination. No Scheduled Tribe candidate was available.

So far as the 1959 and 1960 Examinations for Assistant Superintendents (redesignated Section Officer) are concerned, against 121 vacancies, 36 Scheduled Caste candidates were taken. As the competitive nature of these two examinations had not been made abundantly clear, it was decided that those of the left-over candidates of these two examinations who had secured 55 per cent or more marks should be promoted within a period of 5 years. The question of making any reservations against the intake of such left-over candidates did not, therefore arise.

मध्य प्रदेश के खजुराहो मन्दिरों की मूर्तियों की चोरी

2180. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1969 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली के एक होटल में खजुराहो मन्दिरों की मूर्तियां मिली थीं ;

और पुलिस ने होटल के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि जनवरी, 1969 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली के एक होटल में खजुराहो मन्दिरों की कुछ मूर्तियां मिली थीं। किन्तु 17 जनवरी, 1969 को छतरपुर पुलिस ने राजनगर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन के एक मामले में, जहां 1000 रुपये मूल्य की एक देव प्रतिमा की चोरी हो गई थी, नई दिल्ली के वाई० एम० सी० ए० टूरिस्ट होटल के प्रबन्धक को गिरफ्तार किया था। प्रबन्धक को, दक्षिण नई दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और इस आदेश के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर की अदालत में 27 जनवरी, 1969 को पेश हों। इस सम्बन्ध में, भारत सरकार के पर्यटन बंगलो, खजुराहो के प्रबन्धक को भी, 25 जनवरी, 1969 को गिरफ्तार किया गया था। चोरी गई पूर्ति को उससे हासिल कर लिया गया है। अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

2181. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल भोंसले द्वारा आरम्भ की गयी राष्ट्रीय अनुशासन योजना में उसके आरम्भ से लेकर उसके समाप्त होने तक कितनी राशि व्यय की गयी तथा उस योजना को समाप्त करने के क्या कारण थे ;

(ख) उस योजना की मोटी रूपरेखा क्या है जो उस योजना के स्थान पर बनाई जा रही है ; और

(ग) राजस्थान के अलवर जिले के सारिस्का सैंटर में इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए बनायी गयी इमारतें तथा नियुक्त किये गये कर्मचारियों का किस प्रयोग के लिए उपयोग किया जायगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कुंजरू समिति द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशें हैं कि स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा का एक समेकित कार्यक्रम भी होना चाहिए, जो शैक्षिक प्रणाली से पूर्णरूप से गुंथा हुआ हो और उन विभिन्न कार्यक्रमों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जो उस समय चालू थे अर्थात् शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन० डी० एस०), और सहायक केडिट कोर (ए० सी० सी०)भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को समाप्त कर दिया है।

शारीरिक शिक्षा के समेकित कार्यक्रम के मुख्य विषय जो 1965-66 से चालू हैं :

1. व्यायाम पट्ट
2. ड्रिल तथा कवायद
3. लेजिम
4. जिम्नास्टिक/लोक नृत्य
5. प्रमुख खेल ; गौण खेल तथा दुफंदी बांध
6. ट्रैक एण्ड फील्ड इवेन्ट्स ; परीक्षण तथा पैदल सैर
7. कामबैटिक्स
8. राष्ट्रीय आदर्श तथा सुनागरिकता, व्यावहारिक प्रायोजनाएं और सामुदायिक गान।

लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग-अलग चौथी श्रेणी से XI तक सभी स्तरों पर उपयुक्त आवधिक नियंत्रित कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। राज्यों के स्कूलों के शिक्षकों और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को उपर्युक्त कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए अनुस्थापित किया गया था।